न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 12 / 18 दायर दिनांक 19.01.2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. भैरूलाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. प्रेमचन्द पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
3. किशन पुत्र मरिया जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
4. मुरारी पुत्र मरिया जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
5. घनश्याम पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
6. रामदयाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
7. मदन पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
8. दिनेश पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
9. गजानन्द पुत्र भैरूलाल जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
10. छीतरलाल पुत्र देवलाल जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
11. कन्हैयालाल पुत्र देवलाल जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
12. अमरसिंह पुत्र देवलाल जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रसिंह पुत्र रामनारायण जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. चैनसिंह पुत्र रामनारायण जाति अहेडी निवासी घटटा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
3. गुलाबसिंह पुत्र रामनारायण जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
4. गीताबाई पुत्री रामनारायण पत्नि मंगलसिंह जाति अहेडी निवासी दरेशी तहसील साडोरा जिला अशोक नगर (मध्यप्रदेश)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

— अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल,श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राधाबल्लभ नागर — अभिभाषक अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 14.12.1975 अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू. राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक 29.03.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थिया को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के स्वर्गीय पिता श्री रामनारायण पुत्र गोटू जाति अहेडी निवासी खल्दा को आराजी ख. नं. 203 रकबा 8.05 बीघा वांके ग्राम खल्दा पटवार हल्का छतरगंज का आवंटन किया गया था जो खिलाफ कानून होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। वक्त आवंटन आवंटी रामनारायण भूमिहीन कृषक नहीं था आवंटन दिनांक 14.12.1975 से पहले इसके स्वयं के खाते में ग्राम खल्दा की आराजी ख. नं. 213 रकबा 12.05 बीघा पृथक से खाते दर्ज थी। इसके अतिरिक्त उसके पुस्तेनी पारिवारिक खाते की आराजी किता 4 कुल रकबा 26.10 बीघा में से हिस्सा 1/5 खाते दर्ज थी। जो पुस्तेनी थी जिसमें पुत्रियां जानकी व पुष्पा का हिस्सा अलग किया जावे तो तीन भाई रामनारायण, देवीलाल, भगवानसिंह तीनों भाईयों का हिस्सा 1/3, 1/3 था। आवंटी रामनारायण द्वारा तथ्य छिपाकर छल कपट पूर्वक प्राप्त किया गया आवंटन दिनांक 14.12.1975 भूमिहीन नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी रामनारायण द्वारा आवंटनं शर्तो की पालना नहीं की गई है न उसके द्वारा कब्जा एवं दखलनामा प्राप्त किया न उसके द्वारा कभी कृषि भूमि काश्त की गई है। तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान द्वारा भी कभी उपरोक्त आराजी पर काश्त की गई तथा न लगान राज जमा किया गया। विवादित आराजी ख. नं. 203 रकबा 8.05 बीघा ग्राम में रोड के सहारे है कुछ आराजी खल्दा से खल्दी गांव के रास्ते एवं छतरगंज से जलवाडा पक्की सडक में व खरंजे में जा चुकी है तथा शेष आराजी में कच्चे व पक्के मकान प्रार्थीगण के परिवारों के पूर्वजों के समय से बने हुये है। इस प्रकार गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजनों का निरन्तर व बैरोकटोक कब्जा चला आ रहा है। आवंटी रामनारायण के हक में बिना कब्जा काश्त गैर खातेदारी इन्तकाल नम्बर 61 खोला जाकर नायब तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 25.12.1976 को खोला गया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है तथा आवंटी रामनारायण के फौत होने पर इन्तकाल नम्बर 303 दिनांक 23.05.1994 को खोला गया जिसे तहसीलदार किशनगंज द्वारा 18.08.1994 से वारिसान के खाते दर्ज की गई है इस कारण मृतक आवंटी रामनारायण के वारिसान अप्रार्थीगण 1 ता 4 को पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 203 आवंटी दिनांक 14.12.1975 से पूर्व प्रार्थीगण के परिवारों के आवासीय कच्चे–पक्के मकान बने हुये होकर ... आसपास कच्ची–पक्की सडक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested

खरंजा निर्मित है। इस प्रकार आवंटी का कब्जा न होने से तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान का कब्जा नहीं होने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है, अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा तथ्य छिपाकर, छल–कपट पूर्वक, आवंटन करवाया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। प्रार्थी विवादित भूमि पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजनों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम खल्दा तहसील किशनगंज में अप्रार्थी को कृषि भूमि खसरा सं. 203 की 8.05 बीघा आराजी नियमानुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.12.1975 को अलोट हुई है। अप्रार्थीगण का इस आराजी पर अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त था। जिसका वदस्तूर अलोटमेन्ट के पूर्व से व अलोटमेन्ट के समय से इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में यह आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। प्रार्थी का इस जमीन पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी ने इस आराजी को कड़ी व कठोर मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी ने जो अपील की है वह मनगढ़त, मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी अपने खाते की उक्त आराजी पर नियमानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध व विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा तथ्य छिपाकर, छल–कपट पूर्वक, आवंटन करवाया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। प्रार्थी विवादित भूमि पर गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजनों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.12.1975 को अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण पुत्र गोटू जाति अहेडी निवासी खल्दा तहसील किशनगंज को ग्राम खल्दा की आराजी खसरा नं. 203 रकबा 8.05 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:19 IST
Reason: SelfAttested